विविध प्रकरण संख्या /2013
करतारसिंह बनाम प्रेमचन्द वर्मा व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – रणजीतसिंह गोदारा

विविध आवेदनपत्र संख्या /2013
UNDER ORDER 9 RULE 09 READ WITH
151 CIVIL PROCEDURE CODE

करतारचन्द आत्मज श्री गुरायाराम, अरोड़ा, 16 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर वर्तमान 30 बी ब्लॉक सनसिटी सैक्टर 54, गुड़गावां (हरियाणा)

___आवेदक

बनाम

1. डा. प्रेमचन्द वर्मा आत्मज श्री गुरायाराम, अरोड़ा, 2876, 6141 हीरानन्दचौक सिरकी बाजार, भाठिण्डा (पंजाब)
2. डा. श्यामलाल ठकराल आत्मज श्री टोपनदास, अरोड़ा, ठकराल नर्सिंग होम, हाजी रतन चौक, गुल फाम होटल के सामने, सिविल लाईन्स, भाठिण्डा (पंजाब)
3. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

.......अनावेदक

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर
सत्यमेव जयते

उपस्थित– श्री इन्द्रजीत बिश्नोई (आवेदक)
श्री कृष्णलाल गुप्ता (अनावेदक संख्या 1)

दिनांक 7 मई, 2013

– आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 20/2007 बशीर्षक करतारसिंह बनाम प्रेमचन्द व अन्य में उनके अधिवक्ता द्वारा हिदायत दी गयी कि निर्णय में समय लगता है प्रत्येक निर्धारित तिथि को आने की आवश्यकता नहीं है. बुलाने पर ही आवेदक को आना होगा. किन्तु अधिवक्ता श्री सतीशकुमार गुप्ता के आकस्मिक देहान्त के बाद उनके सहयोगी अधिवक्ता श्री सुरेश अरोड़ा आवेदक से सम्बन्धित प्रकरण की पैरवी करते रहे. इसके अतिरिक्त, आवेदक द्वारा प्रकरण में पैरवी हेतु श्री मोहनलाल आत्मज श्री मुन्शीराम वधवा को मुख्तयार आम नियुक्त कर रखा था जिसे बाद में मुक्त कर अधिवक्ता को सूचित कर दिया गया था. किन्तु अधिवक्ता का दिनांक 03 नवम्बर, 2011 को निर्धारित तिथि पर उपस्थित आने हेतु किसी भी प्रकार का पत्र अथवा किसी भी माध्यम से सूचना आवेदक को प्राप्त नहीं हुई. जिसके परिणाम स्वरूप विचाराधीन उक्तांकित प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया. यह तथ्य भी प्रस्तुत किये गये कि दिनांक 03 नवम्बर, 2011 को अन्य न्यायालय में अन्य प्रकरणों में पेशियों में व्यस्त होने के कारण उनके अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति नहीं दी जा सकी. इस प्रकार आवेदक द्वारा उक्तांकित प्रकरण में जानबूझ कर अनुपस्थिति नहीं हुई. इस प्रकार उक्तांकित प्रकरण संख्या

...कलक्टर एवं
...क दण्डनायक
श्रीगंगानगर (राज.)

20/2007 बशीर्षक करतारसिंह बनाम प्रेमचन्द व अन्य निर्णय दिनांक 3 नवम्बर, 11 को **Re-store** करने का निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में प्रमाणित शपथपत्र, प्रकरण संख्या 20/2007 बशीर्षक करतारसिंह बनाम प्रेमचन्द व अन्य की निर्णय तिथि तक फर्द अहकाम की प्रमाणित प्रति सलंग्न प्रस्तुत की गयी.

अनावेदक संख्या 1 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित आकर जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया कि मृत अधिवक्ता श्री सतीशकुमार गुप्ता प्रश्नगत प्रकरण में कभी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुऐ, बल्कि प्रकरण अधिवक्ता श्री सुरेश अरोड़ा द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था इसलिये अधिवक्ता श्री सुरेश अरोड़ा ही न्यायालय के समक्ष पैरवी की जाती रही है. इसके अतिरिक्त, पत्र नही मिलने बाबत तथ ऑफट्र थॉट हैं जिसके समर्थन में पूर्व अधिवक्ता का शपथपत्र प्रस्तुत नही किया गया व न ही प्रेषण पंजिका की प्रति प्रस्तुत की गयी है साथ ही विभिन्न अतिरिक्त आपत्तियां प्रस्तुत कर आवेदनपत्र उदाहरणीय खर्चे से निरस्त करने का निवेदन किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा बहस की गयी. पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों, प्रस्तुत बहस पर मनन करते हुऐ प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत–

AIR 1977 SC 2221 BIKRAM DASS VS. FINANCIAL COMMISSIONER AND OTHERS

का सादर अवलोकन किया गया. यह शाश्वत तथ्य है कि अधिवक्ता द्वारा विभिन्न न्यायालयों में अपने पक्षकार की ओर से पैरवी हेतु उपस्थिति दी जाती है किन्तु एक ही समय पर एक ही न्यायालय में उपस्थिति दी जा सकती है ऐसी स्थिति में, अन्य न्यायालय में पैरवी हेतु उपस्थिति के दौरान यदि किसी न्यायालय द्वारा आवाज लगवाये जाने पर उपस्थिति सम्भव नहीं हो पाती. इस परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुऐ प्रार्थनापत्र उदाहरणीय कॉस्ट रूपये 1,100.00 पर स्वीकार की जाकर प्रश्नगत प्रकरण संख्या 20/2007 बशीर्षक करतारसिंह बनाम प्रेमचन्द व अन्य निर्णय दिनांक 3 नवम्बर, 11 को **Re-store** किया जाता है.

आदेश पक्षकारान के अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 7 मई, 2013 को सुनाया जाकर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर (राज.)